



न्यायालय सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी/उपजिलाधिकारी (सदर) कानपुर नगर।

वाद सं०- / /2008-08

धारा- 143 जेड.ए.एल.आर. एक्ट  
मौजा- बिदूर कला  
परगना व तहसील जिला कानपुर नगर

श्री विमल कुमार दीक्षित

बनाम

उ०प्र० सरकार

नकल- निर्णय-दि०-०५/१०/०८(खामाप्रति)

विमल कुमार दीक्षित पुत्र स्व० बाल गोविन्द दीक्षित नि० सूबेदार नगर बिदूर कानपुर नगर ने उ०प्र० सरकार आदि को पक्षकार बनाते हुए ग्राम बिदूर कला की खाता सं० 298 आ०सं० 481/0.358 हे०, व खाता सं० 307 आ०सं० 463/0.620 हे० व खाता सं० 288 आ०सं० 478/0.187 हे० को आवासीय/अकृषिक भूमि घोषित करने हेतु प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा- 143 जेड.ए.एल.आर.एक्ट दिनांक 25-9-2008 प्रस्तुत की। आदेश पारित करके तहसीलदार से निर्धारित प्रारूप पर निरीक्षण आख्या प्राप्त की गयी।

तहसीलदार द्वारा निर्धारित प्रारूप पर आख्या दिनांक 29-9-2008 प्रस्तुत की, जिसमें उल्लेख किया कि ग्राम बिदूर कला की खाता सं० 298 आ०सं० 481/0.358 हे०, व खाता सं० 307 आ०सं० 463/0.620 हे० व खाता सं० 288 आ०सं० 478/0.187 हे० पर कृषि कार्य नहीं हो रहा है तथा उस पर बाउण्ड्रीवाल निर्माणाधीन है, और न ही उसका उपयोग बागवानी, कुक्कुट पालन/मत्स्य पालन या किसी अन्य प्रयोग में आ रही है। आख्या में उक्त भूमि को यू०पी०जेड०ए०एल०आर० एक्ट की धारा- 143 के अंतर्गत प्रख्यापन हेतु रिपोर्ट अग्रसारित की गयी है।

मैंने पत्रावली का विधिवत अवलोकन किया। प्रस्तुत तहसीलदार की आख्या एवं वादी के प्रार्थनापत्र तथा अभिलेखों से स्पष्ट है कि ग्राम बिदूर कला की खाता सं० 298 आ०सं० 481/0.358 हे०, व खाता सं० 307 आ०सं० 463/0.620 हे० व खाता सं० 288 आ०सं० 478/0.187 हे० भूमि पर कृषि कार्य नहीं हो रहा है, तथा भूमि पर बाउण्ड्रीवाल निर्माणाधीन है, और न ही उसका उपयोग बागवानी, कुक्कुट पालन/मत्स्य पालन या किसी अन्य प्रयोग में आ रही है। आख्या में उक्त भूमि को यू०पी०जेड०ए०एल०आर० एक्ट की धारा- 143 के अंतर्गत प्रख्यापन हेतु रिपोर्ट अग्रसारित की गयी है।

आदेश

ग्राम बिदूर कला की खतौनी 1412-1417 फ० के खाता सं० 298 आ०सं० 481/0.358 हे० व खाता सं० 307 आ०सं० 463/0.620 हे० व खाता सं० 288 आ०सं० 478/0.187 हे० भूमि को उ०प्र० जेड०ए०एल०आर०एक्ट की धारा- 143 के अंतर्गत आवासीय/अकृषिक भूमि घोषित किया जाता है। तहसीलदार की आख्या दिनांक 29-9-2008 आदेश का अभिन्न अंग होगी। तदनुसार परवाना अमलदरामद जारी हो तथा एक प्रमाणित प्रति तहसीलदार एवं संबंधित उपनिबन्धक को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाये। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली अभिलेखागार में अभिरक्षित हो

गणन पत्र की क्रम संख्या ०५-१०-०८  
गणन की तिथि ०५-१०-०८  
गणन का दिनांक ०५-१०-०८  
गणन का दिनांक ०५-१०-०८

*(राजकुमार)*  
सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी/  
उपजिलाधिकारी (सदर)  
कानपुर नगर।

सत्य-प्रतिलिपि

*05/10/08*

संयार कला  
विमान कला